

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास — श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 154/2018

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पोडेन्ट

रामेश्वरलाल पुत्र पूनमचंद जाति माली
निवासी लक्ष्मीनगर नागौर।

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :-

1. श्री भगवान राम सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:27.01.2021

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 29/2018 सरकार बनाम रामेश्वरलाल में निर्णय दिनांक 14.05.2018 के तहत मौजा ताउसर के खसरा नं. 651 गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.06.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 13.06.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 29/2018 सरकार बनाम रामेश्वरलाल मे पारित निर्णय दिनांक 14.05.2018 की फोटोप्रति, भूमि विक्रय विलेख (पट्टा सं. 29) की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}{I}-निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{2}{II}-अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करने के पूर्व अपीलांट पर नोटिस की विधिवत कोई तामील नही करायी है तथा इकतरफा कार्यवाही गैर कानूनी तरीके से की है। पर्याप्त तामील नही होने के बावजूद निर्णय जैर अपील पारित करने मे बडी भारी कानूनी एवं वाकियाति भूल की है। जिससे भी निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}{III}-विवादित जायगा अपीलांट की पट्टासुदा जायगा है तथा अपीलांट विकलांग होने तथा भूमिहीन होने तथा सरकार की अन्त्योदय योजना मे चयनित होने की वजह से अपीलांट के पक्ष मे स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत ताउसर द्वारा आवासीय पट्टा जारी किया है जो 50 फीट गुणा 30 फीट कुल 1500 वर्गफीट का पट्टा दिया गया है। जो पट्टा नं. 29 मिसल सं. 28/90-91 का ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है तथा पट्टा जारी करने के बाद भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) का उप पंजीयक कार्यालय नागौर मे पंजीयन किया गया है। इस प्रकार अपीलांट रजिस्टर्ड सेलडीड के द्वारा मालिक बना है तथा तब से पूर्व से लेकर आज तक अपीलांट की अपनी जायगा का उपयोग व उपभोग करता आया है। विवादित जायगा पर सरकार अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई किसी प्रकार का कब्जा व हक अधिकार नही है। केवल मात्र अपीलांट ही रजिस्टर्ड सेल डीड के द्वारा मालिक है तथा तमाम हक अधिकार उपयोग व उपभोग आज तक निर्बाद रूप से करता आया है। गांव मे आपसी पार्टीबाजी से कुछ लोगो ने झूठी शिकायत की है। विवादित जायगा ग्राम पंचायत ताउसर की आबादी मे है तथा मौके पर कोई गोचर नही है तथा विवादित जायगा कभी भी गोचर के काम नही आयी है। इस जमीन का गोचर के रूप मे कभी भी उपयोग नही रहा है। पूर्ण रूप से व स्पष्ट रूप से आवासीय जायगा है तथा जब तक रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पट्टा प्रभाव मे है तब तक कोई भी राजस्व न्यायालय अपीलांट को बेदखल नही कर सकता और रजिस्टर्ड विक्रय विलेख पट्टा को

निरस्त करने का केवल मात्र सक्षम सिविल न्यायालय को ही है तथा अपीलांट के पक्ष में जारी विक्रय विलेख को आज तक किसी सक्षम सिविल कोर्ट में चेलेन्ज नहीं किया गया है। इन सब तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारण एवं विश्लेषण किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो एक बड़ी भारी कानूनी एवं वाकियाति भूल की है। जिससे निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(IV)—अधीनस्थ न्यायालय ने बहुत ही जल्द बाजी में निर्णय पारित किया है तथा निर्णय जैर अपील पारित करने के पूर्व कोई साक्ष्य नहीं ली तथा मौका निरीक्षण नहीं किया, पटवारी के बयान भी नहीं लिये। अन्य किसी भी प्रकार की साक्ष्य लिये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित करने में बड़ी भारी कानूनी एवं वाकियाति भूल की है। जिससे निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(V)—अपीलांट के आस पास आबादी क्षेत्र है तथा अन्य काफी लोगों का ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये हैं। जो आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टे हैं। इस बात पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विचारण नहीं किया है। विवादित जायगा के चारों तरफ पुरातन बाड व अन्दर कच्ची ढाणी बनी हुई थी। जिसे अभी कुछ दिन पूर्व बाड व ढाणी हटाकर चार दीवारी बनाने हेतु नीचे खुदवाकर ठोकर तक दीवार चुनाई है। जो आत यथावत है। विवादित जायगा पर अपीलांट ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया से ऋण भी लिया था। जो चुकता कर है। विवादित जायगा में अपीलांट के भवन निर्माण सामग्री पत्थर बजरी वगैरा सामान भी पडा है। जो पुराने कच्ची छाने वगैरा थी। जिनको नव निर्माण कराने की मंशा होने पर हटाकर नीचे खोदकर चार दीवारी का निर्माण शुरू किया है। इन सब परिस्थितियों पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचारण नहीं किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून एवं तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

{3}—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा ताउसर में स्थित गै.मु. गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलांट द्वारा बताया जा रहा पट्टा आबादी भूमि से संबंधित हो सकता है। उसमें आराजी खसरे का कोई विवरण अंकित नहीं है तथा राजस्व भूमि पर ग्राम पंचायत को आबादी पट्टा दिये जाने के कोई अधिकार नहीं है। आराजी भूमि गै.मु. गोचर राजकीय भूमि है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके ताउसर के खसरा नंबर 651 गै.मु. गोचर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि को लेकर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने को लेकर अपीलांट द्वारा कथन किया गया है। उक्त कथित पट्टे की प्रस्तुत फोटोकॉपी के अनुसार यह पट्टा आराजी खसरे नं. 651 का ही है, प्रतीत नहीं होता है तथा राजकीय गोचर भूमि में ग्राम पंचायत को आबादी पट्टे दिये जाने की अधिकारिता नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मनोज कुमार)
अपर न्यायालय नागौर
नागौर